

प्रेषक,

मिशन निदेशक,
राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, उ०प्र०,
विशाल काम्प्लेक्स, 19-ए, विधान सभा मार्ग
लखनऊ।

सेवा में,

- 1.समस्त मुख्य चिकित्सा अधिकारी,
उत्तर प्रदेश।
- 2.समस्त जनपदीय कार्यक्रम प्रबन्धक
एन०एच०एम०, उत्तर प्रदेश।

पत्रसंख्या:एस०पी०एम०यू/एम०आई०एस०/ब्लॉक डाटा इन्ट्री ऑपरेटर/2015-16(Vol-2)/51-ई/55312 दिनांक: 21-10-16

विषय : राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के अन्तर्गत वर्ष 2016-17 हेतु ब्लॉक स्तर पर संविदा पर कार्यरत ब्लॉक डाटा-इन्ट्री ऑपरेटर के 06 माह (01 अप्रैल 2016 से 30 सितम्बर 2016 तक) के मानदेय की धनराशि अवमुक्त किए जाने के सम्बन्ध में।

महोदय/महोदया,

राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अन्तर्गत भारत सरकार से प्राप्त आर०ओ०पी० 2016-17 (ROP F.No. 10(15)/2016-NRHM-I Dated 08.08.2016) में प्राप्त स्वीकृति एवं राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के राज्य कार्यकारी समिति की 87वीं बैठक दिनांक 24.08.2016 के एजेण्डा मद संख्या 87.56 में लिये गये निर्णय के क्रम में, मिशन प्लैक्सीपूल में एच०एम०आई०एस० एवं एम०सी०टी०एस० के अन्तर्गत एफ०एम०आर० कोड संख्या बी15.3.1.2 "ब्लॉक लेवल डाटा इन्ट्री ऑपरेटर" हेतु निम्नानुसार बजट स्वीकृत किया गया है:-

"Lumpsum amount of Rs 1,252.96 lakhs approved for outsourcing data entry operation on task basis to the extent possible. State may continue with the existing DEO if so it consider appropriate. Outsourcing should be based on competitive bidding following Government protocols. State should formulate qualifications and experience criteria for candidates. The candidates shortlisted by the agency should be screened by District Health Society/ State Health Society to ensure quality of the selected candidates. State must ensure improvement in the registration and service delivery updation status of the beneficiary on MCTS portal and 100% facility based reporting on HMIS portal".

साथ ही संयुक्त सचिव, भारत सरकार के पत्र संख्या 10(36)2015-NRHM-I दिनांक 22.07.2016 के क्रम में निर्देशित किया गया है कि यदि राज्यों द्वारा वर्तमान में कार्यरत डाटा इन्ट्री आपरेटर के स्थान पर डाटा इन्ट्री कार्य हेतु आउटसोर्सिंग करना सम्भव नहीं है, तो ऐसी स्थिति में राज्यों को पूर्व में स्वीकृत डाटा इन्ट्री आपरेटरों के पदों को बनाये रखने हेतु विकल्प दिया गया है, साथ ही वित्तीय वर्ष 2016-17 में डाटा इन्ट्री आपरेटर के नवीन पदों की स्वीकृति न प्रदान करते हुए नवीन भर्तियाँ न करने हेतु निर्देशित किया गया है।

उपरोक्त के क्रम में भारत सरकार द्वारा स्वीकृत आर०ओ०पी० 2016-17 में मिशन प्लैक्सीपूल के एफ०एम०आर० कोड नम्बर B15.3.1.2 "Data Entry Operators at Block Level" में एम०सी०टी०एस०/आर०सी०एच० पोर्टल के सफल संचालन हेतु ब्लॉक स्तर पर डाटा इन्ट्री अपरेटर्स के मानदेय हेतु रु० 12,733.00 प्रतिमाह की दर से निम्नानुसार स्वीकृत किया गया है।

ब्लॉक स्तर पर कार्यरत ब्लॉक डाटा एन्ट्री ऑपरेटरो हेतु प्रति माह स्वीकृति मानदेय रु० 12733.00 के सापेक्ष न्यूनतम प्रतिमाह मानदेय, सर्विस टैक्स, सर्विस चार्ज, ई०एस०आई० एवं ई०पी०एफ० के निर्धारण के सम्बन्ध में मानव संसाधन अनुभाग द्वारा प्रेषित पत्रांक 192/एस०पी०एम०यू०/डैप-एचआर/एम०सी०टी०एस०/2016-17/5763 दिनांक 24.09.2016 का संदर्भ ग्रहण करना चाहें जिसमें ब्लॉक लेवल पर एजेंसी द्वारा उपलब्ध कराये गये "ब्लॉक लेवल

डाटा इन्ट्री ऑपरेटर के मानदेय में भिन्नता को दूर किये जाने हेतु न्यूनतम मानदेय रु 8,100.00 प्रमिमाह का निर्धारण किया गया है। जनपदवार अवमुक्त की जाने वाली धनराशि का विवरण निम्नवत् है:-

FMR Code: B15.3.1.2 (Data Entry Operators at Block Level)

S.No.	Districts	No. of Blocks	Approved @ Rs 12,733.00/ month/ operator for 820 Block Data Entry Operator (Total amount proposed for 06 months 01 Apr 2016 to 30 Sep 2016) Amount in Rs.
Col.1	Col.2	Col.3	Col.4= (Col.3 x Rs.12733 x 6)
1	Agra	15	1145970.00
2	Aligarh	12	916776.00
3	Allahabad	20	1527960.00
4	Ambedkar Nagar	9	687582.00
5	Amethi	13	993174.00
6	Amroha (JP Nagar)	6	458388.00
7	Auraiya	7	534786.00
8	Azamgarh	22	1680756.00
9	Baghpat	6	458388.00
10	Bahraich	14	1069572.00
11	Ballia	17	1298766.00
12	Balrampur	9	687582.00
13	Banda	8	611184.00
14	Barabanki	15	1145970.00
15	Bareilly	15	1145970.00
16	Basti	14	1069572.00
17	Bijnor	11	840378.00
18	Budaun	15	1145970.00
19	Bulandshahar	16	1222368.00
20	Chandauli	9	687582.00
21	Chitrakoot	5	381990.00
22	Deoria	16	1222368.00
23	Etah	8	611184.00
24	Etawah	8	611184.00
25	Faizabad	11	840378.00
26	Farukhabad	7	534786.00
27	Fatehpur	13	993174.00
28	Firozabad	9	687582.00
29	Gautam Buddha Nagar	4	305592.00
30	Ghaziabad	4	305592.00
31	Ghazipur	16	1222368.00
32	Gonda	16	1222368.00
33	Gorakhpur	19	1451562.00
34	Hamirpur	7	534786.00
35	Hapur	4	305592.00
36	Hardoi	19	1451562.00
37	Hathras	7	534786.00
38	Jalaun	9	687582.00
39	Jaunpur	21	1604358.00
40	Jhansi	8	611184.00
41	Kannauj	8	611184.00
42	Kanpur Dehat	10	763980.00
43	Kanpur Nagar	10	763980.00
44	Kasganj	7	534786.00
45	Kaushambi	8	611184.00
46	Kushi Nagar	14	1069572.00
47	Lakhimpur Kheri	15	1145970.00
48	Lalitpur	6	458388.00
49	Lucknow (+3 Block)	8	611184.00
50	Maharajganj	12	916776.00

S.No.	Districts	No. of Blocks	Approved @ Rs 12,733.00/ month/ operator for 820 Block Data Entry Operator (Total amount proposed for 06 months 01 Apr 2016 to 30 Sep 2016) Amount in Rs.
Col.1	Col.2	Col.3	Col.4= (Col.3 x Rs.12733 x 6)
51	Mahoba	4	305592.00
52	Mainpuri	9	687582.00
53	Mathura	10	763980.00
54	Mau	9	687582.00
55	Meerut	12	916776.00
56	Mirzapur	12	916776.00
57	Moradabad	8	611184.00
58	Muzaffar Nagar	9	687582.00
59	Pilibhit	7	534786.00
60	Pratapgarh	17	1298766.00
61	Raebareli	18	1375164.00
62	Rampur	6	458388.00
63	Saharanpur	11	840378.00
64	Sambhal	8	611184.00
65	Sant Kabir Nagar	9	687582.00
66	Sant Ravidas Nagar (Bhadohi)	6	458388.00
67	Shahjahanpur	15	1145970.00
68	Shamali	5	381990.00
69	Shrawasti	5	381990.00
70	Siddharth Nagar	14	1069572.00
71	Sitapur	19	1451562.00
72	Sonbhadra	8	611184.00
73	Sultanpur	13	993174.00
74	Unnao	16	1222368.00
75	Varanasi	8	611184.00
		820	62646360.00
रु 6,26,46,360 (रुपये छः करोड़ छब्बीस लाख छियालीस हजार तीन सौ साठ मात्र)			

ब्लॉक डाटा इन्ट्री ऑपरेटर हेतु आवश्यक दिशा-निर्देश :-

- एम0सी0टी0एस0/आर0सी0एच0 पोर्टल पर उपलब्ध कराये गये आंकड़ों को जाँच कर, एम0सी0टी0एस0/आर0सी0एच0 पोर्टल पर ससमय इन्ट्री करना।
- सत्रवार वर्क प्लान निकालना एवं भरे हुये वर्क प्लान की सूचना को पोर्टल पर अपडेट करना।
- एम0एच0वी0, आशा तथा अन्य सम्बन्धित लोगों के नाम और दूरभाष क्रमांक की सूची बनाकर कम्प्यूटर सेल में लगे सॉफ्टबोर्ड पर लगवाना एवं पोर्टल पर सभी स्वास्थ्य कार्यकर्त्रियों (एम0एच0एम0 एवं आशा) की सही जानकारी बैंक, आधार एवं दिये गये विभागीय मोबाइल नम्बर के साथ अपडेट करना।
- जिला कार्यक्रम प्रबन्धक, जिला प्रतिरक्षण अधिकारी के सहयोग से ब्लॉक डाटा इन्ट्री ऑपरेटर की क्षमतावर्धन करेंगे तथा डाटा इन्ट्री की संख्यात्मक प्रगति और गुणवत्ता सुनिश्चित करेंगे।
- ब्लॉक डाटा इन्ट्री ऑपरेटर को समय समय पर जनपद/मण्डल स्तरीय एम0सी0टी0एस0/आर0सी0एच0 पोर्टल संबंधी प्रशिक्षण कार्यक्रमों में अनिवार्य रूप से भेजा जाये।
- मुख्य चिकित्साधिकारी द्वारा सभी ब्लॉक की मासिक समीक्षा विस्तृत रूप में की जाए एवं ब्लॉक डाटा इन्ट्री ऑपरेटर से एम0सी0टी0एस0/आर0सी0एच0 के कार्य करने हेतु सर्वोच्च प्राथमिकता के रूप में शतप्रतिशत पूर्ण किया जाना सुनिश्चित किया जाये।

अतः एम0सी0टी0एस0/आर0सी0एच0 पोर्टल पर समस्त गर्भवती महिलाओं एवं शिशुओं का पंजीकरण/ट्रैकिंग कर मातृ एवं शिशु सम्बंधी समस्त सेवाएं अविलम्ब दर्ज की जाये। एम0सी0टी0एस0/आर0सी0एच0 पोर्टल की ग्राम स्तर मैपिंग एवं मास्टर डेटाबेस को शतप्रतिशत सही किया जाये एवं स्वास्थ्य कार्यकर्त्रियों (एम0एच0एम0 एवं आशा) की सही जानकारी बैंक, आधार एवं दिये गये विभागीय मोबाइल नम्बर के साथ अपडेट किया जाये।

अतः उपरोक्त दी गयी फांट के अनुसार समस्त "ब्लॉक लेवल डाटा इन्ट्री ऑपरेटर" के मानदेय के भुगतान हेतु धनराशि रु0 6,26,46,360 (रुपये छः करोड़ छब्बीस लाख छियालीस हजार तीन सौ साठ मात्र) जनपदों को अवमुक्त की जा रही हैं। कृपया उक्त मानकों के अनुसार एच0एम0आई0एस0/एम0सी0टी0एस0 मद में स्वीकृत धनराशि का नियमानुसार व्यय एफ0एम0आर0 कोड संख्या बी15.3.1.2 से किया जाना सुनिश्चित करें तथा विवरण ससमय प्रेषित करें।

व्यय सम्बन्धी विस्तृत दिशा-निर्देश:

उक्त धनराशियों का व्यय "आपरेशनल गाइडलाइन्स फार फाइनेन्शियल मैनेजमेन्ट" में दी गयी व्यवस्था तथा अन्य प्रभावी संगत नियमों एवं निर्देशों का पालन करते हुये सक्षम अधिकारी की अनुमति प्राप्त करके ही किया जाय। निम्न निर्देशों का अनिवार्यतः पालन सुनिश्चित करें।

1. धनराशि का आवंटन मात्र आपको व्यय करने के लिये प्राधिकृत नहीं करता, अपितु ऑपरेशनल गाइडलाइन्स फॉर फाइनेन्शियल मैनेजमेन्ट में दी गयी व्यवस्था, वित्तीय नियमों, शासनादेशों, अन्य प्रभावी नियमों/निर्देशों एवं कार्यकारी समिति द्वारा निर्धारित प्रक्रिया का पालन करते हुए, सक्षम प्राधिकारों की स्वीकृति के उपरान्त ही व्यय नियमानुसार किया जाय। जिस कार्यक्रम/मद में धनराशि आवंटित की गयी है उसी सीमा तक व्यय नियमानुसार किया जाये।
2. स्वीकृत मद का पुर्नविनियोग (re-appropriation) राज्य कार्यकारी समिति, राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन, उत्तर प्रदेश की अनुमति के बिना कदापि न किया जाये। साथ ही साथ यह भी सुनिश्चित किया जाये कि एक कार्यक्रम की धनराशि दूसरे कार्यक्रमों में स्थानान्तरित न की जाये। धनराशि के व्यय में यदि कोई अनियमितता होती है तो इसके लिए आप स्वयं उत्तरदायी होंगे।
3. जिला स्वास्थ्य समित एवं समस्त इकाइयों के वित्तीय अभिलेख कैशबुक, बैंक बुक, लेजर, चैक इश्यू रजिस्टर, स्थायी सम्पत्तियों का रजिस्टर आदि लेखापुस्तकों में सभी प्रविष्टियों समय से पूर्ण कराये साथ ही समयानुसार सत्यापन भी सक्षम अधिकारी करना सुनिश्चित करें।
4. जिला स्वास्थ्य समिति एवं समस्त इकाइयों के बैंक समाधान विवरण प्रत्येक माह के अन्त में तैयार करना सुनिश्चित कराये जिससे बैंक खातों तथा सोसाइटी एवं समस्त इकाइयों के लेखों में कोई भिन्नता न रहे।
5. आपके स्तर से समस्त इकाइयों को अग्रिम के रूप में अवमुक्त की गयी धनराशियों के उपयोगिता प्रमाणपत्र प्राप्त करते हुए अपनी लेखापुस्तकों में समायोजन दर्शाना सुनिश्चित करें।
6. प्रत्येक माह का मासिक व्यय विवरण (एफ0एम0आर0) लेखापुस्तकों की प्रविष्टियों से मिलान कर तैयार किया जाये तथा यह भी सुनिश्चित कर लें कि प्रत्येक माह की एफ0एम0आर0 में दर्शायी गयी धनराशि एवं लेखापुस्तकों में प्रविष्टि की गयी धनराशि में मदवार कोई अन्तर न रहे।
7. व्यय से सम्बन्धित समस्त लेखाबहियों, बिल बाउचर्स व अन्य अभिलेखों को अपने स्तर पर सुरक्षित रखें एवं नियुक्ति मासिक कान्करेन्ट आडिटर, स्टेटच्यूरी आडिटर, महालेखाकार की आडिट एवं सक्षम निरीक्षण अधिकारी हेतु उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।
8. राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के अन्तर्गत उपलब्ध कराये गये आपरेशनल गाइडलाइन्स फार फाइनेन्शियल मैनेजमेन्ट (अद्यावधिक संशोधित) में दिये गये दिशा निर्देशों एवं प्रक्रिया का पालन समस्त स्तरों पर किया जाना सुनिश्चित करें।
9. भारत के नियंत्रक/महालेखा परीक्षा द्वारा राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन, उत्तर प्रदेश, के परफारमेन्स आडिट रिपोर्ट में उठाई गयी मुख्य आपत्तियों के परिप्रेक्ष्य में मुख्य सचिव, महोदय उत्तर प्रदेश शासन के

निर्देशों के अन्तर्गत गठित समिति की दिनांक 01.06.2012 को सम्पन्न हुई बैठक में समिति द्वारा की गयी संस्तुतियों की प्रति पत्र संख्या SPMU /NRHM/ACCOUNT/490-8 दिनांक 13.06.2012 के द्वारा करायी गयी है, को संज्ञान में लेना सुनिश्चित करें।

उपरोक्त निर्देशों का पालन प्रत्येक स्तर पर सुनिश्चित किया जाये। नियमों का पालन न करने एवं वित्तीय अभिलेखों का रख-रखाव ठीक न होने के कारण यदि धनराशि का व्यय नियमानुसार नहीं पाया जाता है या अन्य कोई वित्तीय अनियमितता प्रकाश में आती है तो इसके लिये जनपद के मुख्य चिकित्साधिकारी, सम्बन्धित अधिकारी/कर्मचारी व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी होंगे।

भवदीय

(आलोक कुमार)
मिशन निदेशक

पत्रसंख्या:एस0पी0एम0यू/एम0आई0एस0/ब्लॉक डाटा इन्ट्री ऑपरेटर/2015-16(Vol-2)/51-ई/

तददिनांक

निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. प्रमुख सचिव, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ।
2. महानिदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य, स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
3. महानिदेशक, परिवार कल्याण, परिवार कल्याण महानिदेशालय, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
4. समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश।
5. समस्त जिलाधिकारी/अध्यक्ष जिला स्वास्थ्य समिति, उत्तर प्रदेश।
6. समस्त मण्डलीय अपर निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उत्तर प्रदेश।
7. समस्त मण्डलीय परियोजना प्रबंधक, एन0आर0एच0एम0, उत्तर प्रदेश।
8. समस्त महाप्रबन्धक, एस0पी0एम0यू0 एवं महाप्रबन्धक-एम0आई0एस0, एन0एच0एम0, एस0पी0एम0यू0, को इस आशय से प्रेषित कि पत्र की प्रति एन0एच0एम0 की वेबसाइट www.upnrhm.gov.in पर अपलोड करवाने का कष्ट करें।

(बी0के0 जैन)

महाप्रबन्धक, एम0आई0एस0